मित्रों,

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं और बच्चों की तस्करी न सिर्फ एक संगठित अपराध है बल्कि यह बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है. गरीबी, आर्थिक विपन्नता, सुरक्षात्मक वातावरण की कमी, जागरूकता आदि कारणों की वजह से हमारे समाज में ऐसी घटनाएँ आये दिन बढती जा रही है. हमारा प्रमंडल या झारखण्ड राज्य इससे अछूता नहीं है. यहाँ भी यह समस्या असंख्य जटिलताओं और भिन्नताओं के कारण चुनौतीपूर्ण होती जा रही है. ऐसी समस्याओं एवं जटिलताओं से उबरने के लिए सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना/होम का संचालन किया जा रहा है. जो विशेष रूप से तस्करी को रोकने, तस्करी पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, एकीकरण एवं कौशल क्षमता से लैस करने एवं उन्हें सक्षम बनाने के लिए संचालित किये जा रहे है.

योजना का उद्देश्य

- समुदाय स्तर पर विविध माध्यमों के जरिये महिलाओं और बच्चों को शोषण के विरुद्ध जागरूकता सृजन करना एवं सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए व्यावसायिक यौन शोषण/तस्करी को रोकना.
- पीड़ितों को शोषण से बचाना, शोषण स्थान से मुक्त करना एवं उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करना.
- पीड़ितों को आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा उपचार, परामर्श, कानूनी सहायता, पुनर्वास, आवश्य मार्गदर्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना.
- बड़े पैमाने पर परिवार और समाज में पीड़ितों के पुनर्निवेश की सुविधा प्रदान करना.
- सीमा पार से पीड़ितों को उनके मूल देश में प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करना या इस दिशा में आवश्यक मदद प्रदान करना.

लक्ष्य समूह / लाभार्थी

- वैसी महिलाएं या बच्चे जो व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की चपेट में हैं या शिकार हो गए हों.

योजना के मुख्य घटक

1. निवारण/रोकथाम (Prevention)
2. बचाव (Rescue)
3. पुनर्वास (Rehabilitation)
4. पुनः एकीकरण (Re-integration)
5. प्रत्यावर्तन (Repatriation)

उज्जवला योजना की सेवाएँ:

- आपातकालीन स्थिति या तस्करी से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के बचाव और रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराना.
- तस्करी से प्रभावित महिलाओं एवं बच्चों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना.
- एफआईआर दर्ज करने एवं संबंधित प्रवर्तन एजेंसी को सूचना देने में मदद करना.
- लाभार्थियों को मनो-सामाजिक परामर्श सेवाएं प्रदान करना.
- तस्करी से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को न्याय के लिए कानूनी सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराना.
- घर से पीड़ित महिला को पुनर्वास और पुन:एकीकरण के तहत आश्रय एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे भोजन, कपड़े और व्यक्तिगत उपयोग की अन्य चीजें मुहैया कराना.
- पीड़ितों को चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आय सृजन संबंधी गतिविधियों से लैस करना या सहायता करना.
- तस्करी के पीड़ितों को बैंक खाते खोलने, बीमा सेवा प्रदान करने आदि में सहायता प्रदान करना या विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़ाव स्थापित कराने में मदद करना.

अत: आप सभी समाज प्रेमियों से सादर अपील है कि इस योजना के तहत अधिकाधिक महिलाओं एवं बच्चों को लाभ दिलाने के लिए आप अपना योगदान अवश्य दें.

निवेदक,
उज्ज्वला होम,
पतरातू मोहल्ला, हजारीबाग
संपर्क नंबर-9934148413, 8579804857
7004726251